

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का सुनंदाना ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/ अधिपत्य दिनांक	संपत्ति का मालिक/ बंधक संपत्ति के वाणिज्यिक का नाम	आश्रित मूल्य/ धरोहर राशि/ बोली दृष्टि राशि	धरोहर राशि जमा कराने का पत्र
1.	मैसर्स सुमन इलैक्ट्रिकल एण्ड जर्नल स्टोर प्रोप. श्री देवा राम पुत्र श्री जमना लाल माली गांव- घटोली पोस्ट चेचट, तहसील- रामगंज मण्डी (कोटा)	7,24,230.00 (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 17.07.2017 अधिग्रहण तिथि 01.11.2017	श्री दया राम माली पुत्र श्री जमना राम के नाम से आवासिय प्लॉट नं. 11, नई कुवा कॉलोनी, गांव-चेचट, तहसील-रामगंज मण्डी, जिला कोटा में स्थित, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट, सीमाएं- पूर्व: प्लॉट नं. 10, पश्चिम: प्लॉट नं. 12, उत्तर: प्लॉट नं. 8, दक्षिण: रास्ता (15 फीट)।	1,62,000/- (रु. एक लाख बायट हजार मात्र) 16,200/- (रु. सोलह हजार दो सौ मात्र) 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)	डॉडी द्वारा-प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, रामगंज मण्डी RTGS/NEFT द्वारा खता नं. 23410210001561, IFSC Code: UCBA0002341

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

ई-नीलामी का दिनांक व समय:- दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक।

नियम व शर्तें:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizzard.com> के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशल बॉस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com, श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemant.ps@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizzard.com> पर देख सकते हैं तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आश्रित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाईन जमा होगी। 6. ऑनलाईन बिड जमा करने की अंतिम तिथि 11.06.2018 सां. 04:00 बजे तक है। 7. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि 50000/-) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन DD/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 9. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 10. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचाराधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा कर देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 11. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वामित्व/टेक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो। ऑनलाईन बिड जमा करने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। 12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वधिकार सुरक्षित रहेगा। 13. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टॉपिंग शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांख्यिक प्रभार, कर वहन करना होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 14. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 11.06.2018 तक बैंक कार्य समय में कर सकते हैं। 15. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विषयाधीन है। 16. अने जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक रामगंज मण्डी 0744-2381163, 7597709243 एवं शाखा प्रबंधक रामगंज मण्डी 07459-220255, 9588208116 पर संपर्क किया जा सकता है। 17. यह ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटीकर्ता(ओं)/के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।

दिनांक: 10.05.2018 स्थान: रामगंज मण्डी

प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अधधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

क्र.सं.	ख़ातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक संपत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि/ बोली प्रद्वि राशि	धरोहर राशि जमा कराने का विवरण
1.	मैसर्स महाकाल फर्नीचर मार्ट प्रोप. महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जांगिड़ साणिक्य नगर चौराहा, भीलवाड़ा।	18,01,503.00 (ब्याज एवं खर्च अंतर्गित) मांग सूचना दिनांक 03.06.2017 अधिग्रहण तिथि 09.02.2018	महावीर प्रसाद पुत्र रामेश्वर लाल जांगिड़ के नाम से आवासीय भूमि एवं भवन, प्लॉट ई- 385/1 (गैर जमीन 1096) गली नं. 1, आदर्श नगर, सांगराने रोड के पास, भीलवाड़ा (जं.) क्षेत्रफल 987.81 वर्गफीट, सीमाएं पूर्व: प्लॉट नं. ई-385, पश्चिम: सड़क 20 फीट चौड़ी, उत्तर: सड़क 20 फीट चौड़ी, दक्षिण: खुली जमीन।	19,80,000/- (रु. उन्नीस लाख असी हजार मात्र) 1,98,000 (रु. एक लाख अठ्ठावन हजार मात्र) 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)	डीडी द्वारा-प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, भीलवाड़ा RTGS/NEFT द्वारा खाता सं. 08140210002063, IFSC CODE: UCBA0000814

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

ई-नीलामी का दिनांक व समय:- दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक।

नियम व शर्त:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://www.bankauctionwizzard.com> के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशाल बोस 0786613157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com / श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemanant.p@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पते पर पंजीकरण कर लाईडें आडिड एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये ईच्छुक बोलोकारों वेबसाइट <https://www.bankauctionwizzard.com> पर देख सकते हैं तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बैंक निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाइन जमा होगी। 6. ऑनलाइन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 11.06.2018 सांय 04:00 बजे तक है। 7. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन DD/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा उसके द्वारा जमा भुगतान विवरण की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जल कर लिया जायेगा। 9. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 10. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा कर देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 11. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में आदर्श/स्वामित्व/टेक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। ऑनलाइन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। 12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा अस्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 13. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टैमप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांविधिक प्रभार, कर वहन करना होगा। विवरण प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 14. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 11.06.2018 तक बैंक कार्यालय में कर सकते हैं। 15. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्राधान्यों तथा दशार्थों के विषयवाची है। 16. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक भीलवाड़ा शाखा से 01482-220344, 236862, 6350050133 पर संपर्क किया जा सकता है। 17. यह ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटीकर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनाता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पत्र जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं)/गारंटीकर्ता (ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको बैंक के प्रभार के अध्वधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/ अधिग्रहण दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक संपत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि/ बोली बुद्धि राशि	धरोहर राशि जमा कराने का विवरण
1.	श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री जर्नैल सिंह, श्री जर्नैल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह मकान नं. 54, धनलक्ष्मी कॉलोनी, बोरखेड़ा, कोटा।	22,06,082.36/- (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 03.11.2017 अधिग्रहण तिथि 09.05.2018	श्री जर्नैल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह के नाम से आवासीय भूमि व भवन मकान नं. 222, यूआईटी स्कीम, सक्तपुरा, कोटा में स्थित, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, सीमाएं- पूर्व: प्लांट नं. 221, पश्चिम: प्लांट नं. 223, उत्तर: अन्य प्लांट, दक्षिण: सड़क 20 फीट।	20,40,000/- (रु. बीस लाख चालीस हजार मात्र) 2,04,000/- (रु. दो लाख चार हजार मात्र) 2,500/- (रु. दो हजार पांच सौ मात्र)	डोडी द्वारा- प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, एमबीएस हॉस्पिटल, कोटा RTGS/NEFT द्वारा खाता सं. 19340210000335, IFSC Code: UCOA0001934

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

ई-नीलामी का दिनांक व समय:- दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक।

नियम व शर्तें:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizar.com> के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिफित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशल बोस 07686913157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com/ श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635_hemant@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये ईच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://www.bankeauctionwizar.com> पर देख सकते हैं तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाइन जमा होगी। 6. ऑनलाइन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 11.06.2018 सांय 04:00 बजे तक है। 7. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद उसी दिन DD/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा। 9. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 10. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचाराधीन है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 11. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वाभिल/टेक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो लें। ऑनलाइन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। 12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोटा सभाग ब्याज किसी भी बिड को स्वीकार अथवा स्वीकार्य अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 13. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टैमप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सांनिधिक प्रभार, कर वहन का होगा। विक्रय प्रमाण पत्र के लेवल समस्त निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 14. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 11.06.2018 तक बैंक कोट सभाग में कर सकते हैं। 15. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा दशाओं के विपर्याय है। 16. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक एमबीएस हॉस्पिटल, कोटा से 0744-2381163, 7597709243 शाखा प्रबंधक एमबीएस हॉस्पिटल, कोटा 0744-2326936, 9462973821 पर संपर्क किया जा सकता है। 17. यह ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटीकर्ता(ओं)/के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।

दिनांक: 10.05.2018 स्थान: एमबीएस हॉस्पिटल कोटा

प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक

यतः यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं) /गारंटीकर्ता(ओं) को मांग पर जारी की जिसमें बकाया धन राशि के ब्याज सहित कायम सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं) /गारंटीकर्ता(ओं) बैंक की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं) /गारंटीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों में नीचे वर्णित संपत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा सर्व साधारण को सामान्यता सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन ना करें। यह संपत्ति यूको के बैंक के प्रभार के अन्वयधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि ब्याज और अन्य खर्च देय है। यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणधारको को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थावर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति की बिक्री जो है जैसी है तथा जहाँ है जैसी है के आधार पर की जाएगी।

क्र.सं.	खातेदार का नाम व पता	बकाया धनराशि/ मांग सूचना/अधिपत्य दिनांक	संपत्ति का विवरण/ बंधक संपत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/ बोली यद्धि राशि	धरोहर राशि जमा कराने का विवरण
1.	छोगाराम मेघवाल पुत्र भागाराम मेघवाल, श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री छोगाराम मेघवाल, मेघवालों का बड़ा बास, सादड़ी तह. देसूरी जिला- पाली	6,81,549 (ब्याज एवं खर्च अतिरिक्त) मांग सूचना दिनांक 15.02.2017 अधिग्रहण तिथि 18.02.2018	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री छोगाराम मेघवाल के नाम से आवासीय भूमि एवं भवन डीड नं. 2872 मेघवालों का बड़ा बास, सादड़ी, जिला पाली में स्थित, क्षेत्रफल 770.00 वर्गफीट, सीमाएं- पूर्व- पड़त भूमि, पश्चिम- गुवाड़ी का रास्ता एवं मेघजी का मकान, उत्तर- आम रास्ता एवं माला जी मेघा जी का मकान, दक्षिण: राजपुरा के लिए कच्चा रास्ता।	15,40,000/- (रु. पन्द्रह लाख चौरास हजार मात्र) 1,54,000/- (रु. एक लाख चौवन हजार मात्र) 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)	डीडी द्वारा-प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक, सादड़ी RTGS/NEFT द्वारा खता सं. 03790210000151, IFSC Code: UCBA00000379

स्थानीय स्वशासन को देय राशि:- जो भी बकाया राशि लागू हो।

ई-नीलामी का दिनांक व समय:- दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक।

नियम व शर्त:- 1. नीलामी बिक्री ऑनलाइन ई-नीलामी जिसमें वेबसाइट <https://www.bankauctionwizzard.com> के माध्यम से दिनांक 13.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 13:00 बजे के मध्य बोली लगाकर की जाएगी (असिमित प्रत्येक 5 मिनट का स्वतः विस्तार के प्रावधान के साथ)। 2. इच्छुक निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी की तीली से पूर्व M/s Antares Systems Limited, संपर्क सूत्र: श्री कुशाल बोस 07866131157, ई-मेल: kushal.b@antaresystems.com / श्री हेमन्त श्रीवास्तव 8208626379, 7709933635, hemanant.p@antaresystems.com, प्रधान कार्यालय: 08049352000/08040482000 के पते पर पंजीकरण कर लाईट आई आडो एवं पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। 3. ई-नीलामी के नियमों व शर्तों के विस्तृत जानकारी के लिये ईच्छुक बोलीकर्ता वेबसाइट <https://www.bankauctionwizzard.com> पर देख सकते हैं तथा संबंधित प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। 4. उपरोक्त संपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। 5. बिड निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विवरण सहित ऑनलाइन जमा होगा। 6. ऑनलाइन बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 11.06.2018 सांय 04:00 बजे तक है। 7. सफल निविदाकर्ता को खरीदी गई संपत्ति के मूल्य का 25% (धरोहर राशि घटाकर) ई-नीलामी की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद उत्ति दित डन/NEFT/RTGS के माध्यम से करना होगा तथा शेष 75% का भुगतान विक्रय की सूचना दिये जाने/पुष्टि किये जाने के 15 दिन या उससे पहले करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्तानुसार राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा राशि को जल कर लिया जायेगा। 9. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर लौटा दी जाएगी। 10. यह नीलामी/बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के विचारार्थ है, यदि ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता ई-नीलामी से पहले बैंक की बकाया राशि जमा कर देता है तो नीलामी/बिक्री नहीं की जाएगी। 11. संपत्ति की नीलामी 'जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। इच्छुक उपरोक्त अंचल संपत्ति के संबंध में अधिकार/स्वाभित्ति/टैक्स एवं देयता के सम्बन्ध में स्वयं संतुष्ट हो ले। ऑनलाइन बिड जमा कराने के उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। 12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना पूर्व सूचना के बिना कोई कारण बताये किसी भी बिड को स्वीकार अथवा स्वीकार अथवा स्थगित/बिक्री निरस्त करने/किसी भी नियम व शर्त को संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। 13. खरीददार को नियमानुसार वर्तमान तथा भविष्य में संपत्ति से संबंधित समस्त शुल्क/प्रभार जैसे स्टैम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार को देय समस्त सार्वधिकार, कर वहन का होगा। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी किया जायेगा। 14. इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 11.06.2018 तक बैंक की सहाय में कर सकते हैं। 15. यह बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 के प्राधान्यों तथा दशार्थों के विधानाधीन है। 16. अन्य जानकारी एवं बिक्री की जाने वाली संपत्ति के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक सादड़ी से 0145-2628552, 24024018, 9530387521 एवं शाखा प्रबंधक सादड़ी मो. 9327105859, 02934-285031 पर संपर्क किया जा सकता है। 17. यह ऋणकर्ता(ओं) / गारंटीकर्ता(ओं) /के लिए विशेष रूप से तथा जनता के लिए सामान्य रूप से नोटिस है।

दिनांक: 10.05.2018 स्थान: सादड़ी

प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक